अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2/12/20/225 बीरमसिंह बनाम ओमप्रकाश

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2020/00212 श्री अजीतसिंह रावत श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

बीरम सिंह बनाम ओम प्रकाश वगैरह

5.11.20

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील पर सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राज.काश्तकारी अधिनियम वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसके सलंग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांटस की पुश्तैनी/पैत्रक खातेदारी/काश्तकारी की आराजी चौसाला खसरा नम्बर 241 रकबा 3–12–00 बीघा व वर्किंग खसरा नम्बर 253 रकबा 3–10–00, 273 रकबा 00–02–00 बीघा के वर्तमान खसरा नम्बर 316रकबा 0.04, 317 रकबा 0.33, 318 रकबा 0.04, 319रकबा 0.04, 320 रकबा 0.04, 315/685 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 315/764 रकबा 0.02 है0 ग्राम परबतपुरा तहसील व जिल अजमेर में अवस्थित है। वादग्रसत आराजीयात अपीलांट के पिता केसा सिंह रावत की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है तथा अपीलांटस के पिता केसा सिंह की मृत्यु दिनांक 18.01.1957 के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांटस निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। अभी हाल की में विवादित आराजीयात बाबत् अपीलांटस को कृषि सम्बन्धि कार्यो हेतु ऋण की आवश्यकता होने पर अपीलांटस द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की वर्तमान जमाबंदी प्राप्त करने पर अपीलांटस को ज्ञात हुआ कि विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तत्पश्चात अपीलांटस द्वारा आराजीयात बाबत् समस्त दस्तावेज एकत्रित करने पर अपीलांटस को ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता छोटू पुत्र किशनलाल जाति जांगिड द्वारा एक एक तथाकथित फर्जी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1959 को अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया गया है जबकि वास्तवत में अपीलांटस के पिता केसा पुत्र मुकना का स्वर्गवास उक्त तथाकथित विक्रय पत्र के लगभग दो वर्ष पूर्व हीं दिनांक18.01.1957 को हो चुका था जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अपीलांटस के राव भाट द्वारा अपनी भड़वा पोथी में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विवादित आराजीया का नामान्तकरण अपने पक्ष में दर्ज करवा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपीलांटस के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने तथा बेदखली का नाजायज प्रयास करने तथा अपीलांटस की खातेदारी की आराजीयात को अन्यत्र रहन, बेचान, मुन्तकिल अथवा अन्यथा हस्तातंरण करने पर सख्त आमादा है जिसमें यदि वह सफल हो गया तो अपीलांटस विवादित अपनी पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात से महरूम हो जायेगा जिससे अपीलांटस को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कों जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद फरमाया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2020 को अपन आक्षेपित आदेश द्वारा केवल मात्र नोटिस जारी करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अभिभाषक अपीलांटस ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की आड़ में अप्रार्थी संख्या 01 जबरन प्रार्थीगण/अपीलांटस को उनकी पुश्तैनी आराजी से बेदखल कर देगें एवं उक्त आराजी को अन्यत्र रहन, बय मुन्तकिल कर देगें जबकि मान्नीय उच्चतम न्यायालय, मान्नीय उच्च न्यायालय एवं मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

212/20/225 वीरसिंह बनाम ओमप्रकाश

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2020/00212 श्री अजीतसिंह राठौड़ श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
4/11/21	अनेकानेक निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी वादग्रस्त आराजीयात बाबत् किसी सक्षम न्यायालय में कोई वाद लम्बित है तो उक्त वाद के लम्बित रहते वादग्रस्त आराजीयात को रहन, बय व मुन्तकिल आदि होने व अन्य कोई विवाद होने से सुरक्षित रखने का कर्तव्य न्यायालय का होता है जबकि इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी हेतु उपरोक्त समस्त कार्यवाही करने के लिए स्वंतत्रता प्रदान कर दी। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन से प्रतीत है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 21.10.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये है। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 21.10.2020 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। चुँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते इन्तजार नोटिस अप्रार्थी संख्या 01से 3 हेतु नियत हैं। जो कि एक विधिक प्रक्रिया है न कि आदेश इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नही है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर शीघ्र निस्तारण करें। **अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर शीघ्र निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	